

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र0सू0रि0 सं. 30/2022 दिनांक 3/2/2022
2. (i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें 7
(ii) अधिनियम..... भा.द.स..... धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें
3. (क) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 42 समय 5:00 P.M.
(ख) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक :- 02.02.2022 समय03.05 पीएम
- (ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- समय
4. सूचना की किस्म :- लिखित/मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- सीकर से उत्तर दिशा में करीब 50 किलोमीटर
(ब) पता :- तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर।
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम :- श्री परमजीतसिंह
(ब) पिता/पति का नाम :- श्री रणजीत सिंह
(स) जन्म तिथि/वर्ष :- 23 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता- भारतीय
- (य) पासपोर्ट संख्या
जारी करने की तिथि जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय :-
- (ल) पता :- निवासी राजश्री सीनेमा के सामने वार्ड नं. 38 सीकर।.....
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
श्री श्री उदयसिंह पुत्र श्री रामसिंह, उम्र-55 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी राजनगर कॉलोनी
धोद रोड सीकर हाल चतुर्थ श्रणी कर्मचारी तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
..... कोई देरी नहीं हुई
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य रिश्वती राशि 1,000 रुपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-
दिनांक 01.02.2022 को परिवादी परमजीत सिंह ने अपने मोबाईल नम्बर
8559983665 से श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक जाकिर अख्तर को कॉल कर तहसील
कार्यालय फतेहपुर के बाबू श्री उदयसिंह द्वारा रिश्वत की मांग करने तथा बाबू को रिश्वत नहीं
देकर उसे रंगे हाथों पकड़वाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक
को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से सम्पर्क कर
परिवादी के चाहेनुसार रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप
रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर
बताये जाकर दिनांक 02.02.2022 को समय 9.00 एएम पर फतेहपुर खाना किया गया। समय
करीब 11.45 एएम पर श्री मूलचन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक की परिवादी से वार्ता
करवाई तथा रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन होने की कही। परिवादी श्री परमजीत सिंह
ने तुरन्त ही फतेहपुर पहुँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की कही, जिस पर कार्यालय आबकारी
अधिकारी सीकर से श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री किशनसिंह कनिष्ठ सहायक को

तलब कर फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी मालखाना से निकलवाई जाकर उसे सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान उपरोक्त एवं कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री रामनिवास कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्रीमती मंजू महिला कानि. एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप हमरा लेकर जरिये सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों से समय करीब 12.55 पीएम पर सीकर से फतेहपुर के लिये रवाना हुआ। श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस को ईमदाद हेतु हमरा लिया गया।

कार्यवाही पुलिस

02.02.2022

01.45 पीएम इस समय श्री मूलचन्द कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री परमजीतसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " तहसील कार्यालय फतेहपुर के पास पहुँच मैंने परिवादी श्री परमजीत से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाकर रिश्वत के मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय की तरफ रवाना कर दिया तथा परिवादी के वापिस आने पर टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया। परिवादी श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह उम्र-23 वर्ष, जाति रावणा राजपूत निवासी राजश्री सीनेमा के सामने वार्ड नं. 38 सीकर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि" में सीकर कोर्ट में वकालत का कार्य करता हूँ। श्री अरविन्द चौधरी पुत्र श्री सुभाष चौधरी उम्र-25 वर्ष जाति जाट निवासी गांव बिराणिया तहसील फतेहपुर जिला सीकर मेरे परिचित तथा मित्र है। उक्त श्री अरविन्द चौधरी के गांव में उनके आवासीय पट्टा का रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु मैं उदयसिंह बाबू तहसील कार्यालय फतेहपुर से मिला तो उसने पट्टे के पंजीयन के लिये एक हजार रुपये की मांग की तब मैंने मेरे मित्र श्री अरविन्द चौधरी को उक्त बात बताई तो उसने अपने वैध काम के लिये किसी प्रकार की कोई रिश्वत श्री उदयसिंह को नहीं देने की कही तथा उक्त उदयसिंह को रिश्वत लेते हुये पकडवाने की मुझे कही। अतः मैं व मेरा परिचित अरविन्द उक्त उदयसिंह बाबू को रिश्वत देना नहीं चाहते और उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहते है। कानूनी कार्यवाही करें।" एसडी- परमजीत सिंह दिनांक 02.02.2022, एसडी-राजेश कुमार, एसडी-किशनसिंह दिनांक 02.02.2022

मजिद दरियाफ्त पर परिवादी परमजीतसिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र की ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये श्री उदयसिंह बाबू से कोई उधार लेनदेन एवं किसी प्रकार की कोई रजिश नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि आज मैंने श्री मूलचन्द कानि. से टेप रिकार्डर प्राप्त कर तहसील कार्यालय में जाकर श्री उदयसिंह बाबू से बात की तो उसने मेरे परिचित श्री अरविन्द चौधरी के पट्टे के रजिस्ट्रेशन करने की एवज में मेरे से एक हजार रुपये देने की कही, तहसील कार्यालय से बाहर आकर मैंने टेप रिकार्डर श्री मूलचन्द कानि. को सुपुर्द कर दिया। टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई, जिस पर टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित रखा गया।

तत्पश्चात समय 01.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को साथ लेकर मय हमराहीयान के हाईवे सड़क के पास बने गडवा जोहडा के पीछे पहुँचा जहाँ वाहनों को साईड में रूकवाकर परिवादी परमजीत सिंह का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री परमजीत सिंह ने हिदायत देने पर आरोपी उदयसिंह बाबू तहसील कार्यालय फतेहपुर जिला सीकर को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पाँच-पाँच सौ रूपयों के 02 नोट कुल 1000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

1-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 8 CL 535576

2-एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी 6 WC 454290

फिनोपथलीन की शीशी गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से हस्ब कायदा फिनोपथलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री राजेश कुमार से परिवादी श्री परमजीत सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोपथलीन पाऊडर लगे 1,000 रूपयों के नोट श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. चालक से